

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2013/ IV - 1416/ 700  
दिनांक: ५/११/२०१३

सेवा में,

M/s Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.,  
34/C-8, Sector - 8, Rohini,  
New Delhi – 110084.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2013 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यक भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 01/वी - 03, सेक्टर - 150, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यद्वि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मौगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाइन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. पुनरीक्षित स्वीकृत ले-आउट प्लान की पत्रावल संख्या रु - 1369 स्वीकृति नोएडा/मु0वा0नि0/2013/698, दिनांक 29.10.2013 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सबलीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे।

✓ ✓

17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा खतंत्ररूप रे इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोइ अस्तित्व नहीं रहेगा तथा किसी प्रकार से बाउण्ड्रीबाल आदि का निर्माण कर परियोजना स्थल का विभाजन नहीं किया जायेगा ।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में संलग्नक - 2 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य करने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा ।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित अनुपातिक एफ०ए०आर० के आवारीय उपयोग से रस्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवारीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है । इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी ।
20. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमन्य अतिरिक्त ५% एफ०ए०आर० भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमन्य होगा, जिसका अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
21. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
22. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के वृष्टिगत रेनवाटर हार्डिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
23. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
24. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी ।
26. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तें एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी ।
27. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
28. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलाधार्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्थनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तें एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व आवेदक/आबंटी संस्था का होगा, अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त माने जायेगे ।
29. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तें/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा ।



30. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं, अवस्थापना सुविधाओं, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
31. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज़, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज़ डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्रविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
32. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं सुगम्यता के वृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
33. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाओं, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधाओं आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेंज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू भी सम्मिलित हैं)
34. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
35. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
36. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग है। भवन कार्य मानवित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

● सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 20,233.10 वर्ग मी०
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन	
आवासीय	= 5165.23 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 404.70 वर्ग मी०
फेसेलिटीज	= 500.00 वर्ग मी०
कुल	= 6,069.93 वर्ग मी०
● प्रस्तावित भू-आच्छादन	
आवासीय	= 4013.652 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 404.700 वर्ग मी०
फेसेलिटीज	= 375.000 वर्ग मी०
कुल	= 4,793.352 वर्ग मी०
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य एफ०ए०आर	
आवासीय(5% ग्रीन बिल्डिंग सहित)(27849.59+1392.48)	= 29242.07 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 809.40 वर्ग मी०
फेसेलिटीज	= 2500.00 वर्ग मी०
कुल	= 32551.47 वर्ग मी०

#### प्रस्तावित एफ०ए०आर०

आवासीय	= 28,896.808 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 809.400 वर्ग मी०
फेसेलिटीज आई०टी०भवन एफ०ए०आर० के अन्तर्गत	= 2500.00 वर्ग मी०
कुल	= 32,206.208 वर्ग मी०

### घनत्व(डेन्सिटी गणना)

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 20,233.10 वर्ग मी०
- रवीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 208 यूनिट
- व्यक्तियों की संख्या = 208 ÷ 4.5 = 936 व्यक्ति
- प्रस्तावित = 208 ÷ 4.5 = 936 व्यक्ति

### पार्किंग का विवरण

- आवासीय(5% ग्रीन बिल्डिंग सहित) = 29242.07 वर्ग मी०
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता = 29242.07/80 = 366 पार्किंग स्थल
- अनुमन्य वाणिज्यिक = 809.40/30 = 27 पार्किंग स्थल
- फेसेलिटीज आई0टी०भवन = 2500.00/50 = 50 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता = 443 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट) 15128.875/30 = 504 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित स्टेल्ट पार्किंग स्थल = 1694.988/30 = 56 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल = 560 पार्किंग स्थल
- 

### हरित क्षेत्र का विवरण

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 20,233.10 वर्ग मी०
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 4,793.352 वर्ग मी०
- कुल खुला क्षेत्रफल 20,233.10 - 4,793.352 = 15,439.748 वर्ग मी०
- खुले क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 7,719.874 वर्ग मी०
- प्रस्तावित खुला क्षेत्र = 11,462.792 वर्ग मी०
- कुल पौधों की आवश्यकता 15,439.748/100 = 154.39 पौधे

आबंटी संरक्षा द्वारा मानचित्रों में कुल 200 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

### सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी०)	प्रस्तावित (मी०)	
		तहखाना	भवन
अग्र	16.0	6.0	16.0
पृष्ठ	8.0	6.0	8.0
बाई साइड	8.0	6.0	8.0
दाई साइड	8.0	6.0	8.0

IV - 1416

तलवार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	नॉन एफ.ए.आर./ सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
भूतल	आवासीय	5665.268  • शेष एफ०ए०आर०	88.46	2568.124	
प्रथम तल	आवासीय		125.54	3852.552	
द्वितीय तल	आवासीय		110.708	2971.016	
तृतीय तल	आवासीय		110.708	2094.376	
चृतुथ तल	आवासीय		110.708	1505.276	
पंचम तल	आवासीय		110.708	1314.676	
छठवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
सातवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
आठवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
नौवा तल	आवासीय		110.708	1314.676	
दसवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
म्यारहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
बारवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
तेरहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
चौदहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
पन्द्रहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
सोलहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
सत्रहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
अट्ठारहवां तल	आवासीय		110.708	1314.676	
मशीन रूम	टैरिस		107.04		
ममटी			201.168		
योग (ए) (5% ग्रीन बिल्डिंग सहित)			2404.244	31396.808	
वाणिज्यक क्षेत्रफल (बी)				809.400	
कुल एफ०ए०आर० (5% ग्रीन बिल्डिंग सहित) (ए + बी)				32206.208	(ए + बी)

बेसमेंट			16033.147	
स्टिल्ट			1694.988	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, बेसमेंट, स्टिल्ट व सेवा क्षेत्रफल सहित )	$= 2404.244 + 32206.208 + 16033.147 + 1694.988 = 52,338.587 \text{ वर्ग मी}^2$			

Map for proposed Building is as per Byg  
Laws submitted for approval Please.

PL Ass't

Asstt. Arch

Architect

नाम..... १३ मार्च २०१०  
पद.....  
नोएडा नगर पालिका

प्रतिलिपि:

- महाप्रबन्धक (वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।